

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 05/2023

बउनवान

अनोखबाई उम्र 44 वर्ष पत्नि श्री रामचन्द्र, जाति गुर्जर निवासी पचेल खुर्द, तहसील अन्ता जिला बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)



अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक
2. परोकार सरकार



(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 12.09.2023

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 06.02.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम पचेल खुर्द तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.48 है., किस्म—नहरी I पर अतिक्रमी मानकर 768/- रुपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, बगैर केवल मात्र हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी सही अवलोकन नहीं किया गया है। अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है, केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दोषी माना है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बताई गई आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं किया है। अपीलांट को नोटिस की विधिवत् तामिल नहीं करवाई गई, और ना ही भौतिक रूप से आराजी से बेदखल किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट  जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।  प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये, बगैर केवल मात्र हल्का पटवारी झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी सही अवलोकन नहीं किया गया है। अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है, केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दोषी माना है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बताई गई आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त फरमाया जावे।


दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 182 निर्णय दिनांक 11.03.2022 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपीलांट को नोटिस की विधिवत् तामिल हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 300 रकबा 0.48 है0 ग्राम पंचेलखुर्द पर सम्वत् 2078 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 182 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 173/22-23 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया




(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर
बारा (राज)